International Journal of Applied Research 2017; 3(2): 462-463

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(2): 462-463
www.allresearchjournal.com
Received: 07-12-2016
Accepted: 08-01-2017

विभा बाला
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार,
भारत

Corresponding Author:
विभा बाला
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार,
भारत

दाम्पत्य जीवन में विवाह–विच्छेद एक अभिशाप

विभा बाला

सारांशः
आधुनिक काल में हिन्दू विवाह के परम्परागत स्वरूप के परिवर्तन में सामाजिक विधानों की अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका हैं। हिन्दू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया हैं जिसमें इस संबंध को जन्म जन्मान्तर का संबंध माना गया हैं किन्तु आधुनिक कानून ने विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान कर हिन्दू विवाह के इस संस्कारगत स्वरूप को झटका अवश्य दिया हैं। प्राचीन काल में विवाह–विच्छेद का कोई प्रावधान न था यदि किसी कारणवश विवाह विच्छेद हो भी जाता तो समाज में उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता लेकिन आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप, शिक्षा के प्रचार–प्रसार से नारी की जागरुकता ने इसे 'समय की माँग' कहकर उचित बताया हैं। विवाह–विच्छेद की सुविधा परिस्थिति सापेक्ष हैं।

प्रस्तावनाः
पहले विवाह एक सामाजिक बंधन था। विवाह प्रथा ही समाज के द्वारा, समाज और व्यक्ति के हित में बनाई गई है। माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह का आज भी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आज भी कुल, गोत्र, जन्मकुंडली आदि देखकर ही विवाह किए जाते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें न केवल दो इंसान एक दूसरे की ज़िंदगी से जुड़ते है बल्कि दो परिवार भी एक दूसरे से जुड़ जाते है और तब कहीं, जा कर बनता है एक खुशहाल और समृद्ध परिवार। आज भी दहेज के कारण विवाहों में रुकावटे आ रही है, तो दूसरी ओर तय किए हुए विवाह एवं प्रेम विवाह भी असफल हो रहे हैं।

आज समाज के विवाह योग्य युवक–युवतियाँ ऐसे दोराहों पर खड़े हैं, जहाँ वह यह तय नहीं कर पाते है कि विवाह करें भी या नहीं, करें? कारण आज वो अपने कैरियर के प्रति सजग है, वे ज्यादा पढी लिखी भी हो गई है बौद्धिक स्तर भी बढ गया है। अपने बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहती है, यहाँ तक कि माँ बाप का फैसला उसे मंजूर नहीं। आजकल तलाक की संख्या निरंतर बढ रही है। चौंतीस–पैंतीस वर्ष की अवस्था में जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं वे बहुत तनाव या असहनशीलता के कारण हो रहा है। आखिर क्या कारण है यूँ आम होते जा रहे, इन तलाक के किस्से? कहाँ और क्या कमी आ गयी है, परवरिश में जो यह तलाक के किस्से आम हो गये हैं। क्या आज के आधुनिक समाज में महिलाओं का होता सशक्तिकरण, या यूँ कहें कि बढ़ती आत्म निर्भरता है, तलाक का कारण? या फिर इस आत्म निर्भरता ने बढ़ाया इस पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों का अहम? लेकिन फिर भी तलाक के सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी एक पक्ष को इस विषय का पूर्णरूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि **"ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है"**। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो ऐसे कौन से कारण होते हैं जो एक हँसते खेलते परिवार पर तलाक रूपी ग्रहण लगा जाते हैं।

वैसे तो यहाँ मैं स्त्री या पुरुष का कोई पक्ष नहीं लेना चाहती। मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे सबसे अहम कारण सहनशीलता कि कमी होना और नासमझी ही है, और आज की आधुनिक जीवन शैली की आधी दौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है, तो वह है पैसा। आज की पढी–लिखी लड़की नए परिवार में जल्दी शामिल नहीं हो पाती और पति के साथ अलग रहना चाहती है। यदि पति सहमत नही। होता तो घर छोड़ने की धमकी देती है। ऐसे में जीवन तनावपूर्ण हो जाता है कई मामलों में पति तो कई मामलों में पत्नी तलाक देना नहीं चाहती ऐसे में वे अलग–अलग रहने लगते हैं और उससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। तलाक जैसा फैसला बहुत ही मजबूरी में लिया जाना चाहिए ना कि यूँ ही जैसे आज कल होता है कि ज़रा सी आपसी अनबन हुई नहीं कि लोगों के अहम टकराव शुरू हो जाते है और नतीजा तलाक। जबकि मेरा मानना तो यह है कि तलाक की नौबत तो तब आनी चाहिए जब दोनों में से किसी एक का जीना दुसवार हो जाये। इतना ही नहीं कि ज़िंदगी जीने के लिए और कोई दूसरा विकल्प ही ना बचे। मगर अफसोस कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है।

तलाक किसी भी कारण हो ''यह है तो एक दुःखद घटना ही।'' पुरुष और स्त्री दोनों को ही यह समझ लेना चाहिए कि इसका परिणाम दोनों को ही भुगतना पड़ता है। यदि बच्चें है तो इसका परिणाम उन पर सबसे ज्यादा होता है, कारण कभी बच्चें माँ के पास तो कभी बच्चें पिता के पास। इसके लिए हमें एक छत के नीचे बैठकर अपना समझौता करना होगा। हमे कोर्ट में जो सच्चे झूठे इल्जाम लगाकर अपमानित किया जाता है वह बड़ा शर्मनाक होता है। फिल्मों, टी.वी., सिरियलों के माध्यम से जो कुछ भी बताया जा रहा है, तलाक का कारण, उनमें से एक है तलाकशुदा–महिला सुरक्षित जीवन नहीं जी पाती है। खैर पहले एक माँ अपनी बेटी को विवाहोपरांत विदा करते वक्त हमेशा यह सीख दिया करती थी, कि बेटा हमेशा बड़ों का सम्मान करना, कभी किसी को पलट कर जवाब मत देना, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और हम उम्र को अपनापन देना। जिसके कारण बहुत सी छोटी–मोटी बातों पर परिवार में कलह होने से बच जाती थी। मगर आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज यदि लड़की नौकरी करती है, अर्थात खुद पैसा कमाने में सक्षम है और अपने पैरों पर खड़ी है तो उसकी माँ उसे सिखाती है, बेटा तुझे किसी से डरने या किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है, तू आत्मनिर्भर है इसलिए तुझे अपनी मन मर्जी करने का सम्पूर्ण अधिकार है। तुझे जो पसंद ना हो तो मत करो, मना करना सीखो ना कि चुप रहकर हालातों से समझौता करना। नतीजा सब अपनी मर्जी के मालिक बन अपनी–अपनी चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए तो आज कल किसी से ना डरने और दबने या किसी के आगे ना झुकने की शिक्षा दी जाती है बेटियों को उनके माँ –बाप के द्वारा। जिसके कारण अहम का टकराव और नतीजा झगड़ा बढ़ते–बढ़ते नौबत तलाक तक आ पहुँचती है।

मुझे तो यह समझ नहीं आता कि कोई भी विवाहित दंपत्ति तलाक लेने से पहले आपस में बैठकर एक बार शांति से अपनी–अपनी समस्याओं पर बात क्यों नहीं करते कि उनको एक दूसरे से आखिर समस्या क्या है और यदि वह लोग ऐसा करते भी हैं, तो क्या एक बार भी उन्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? मुझे तो लगता है कि ऐसा विचार नहीं ही आता होगा। क्योंकि आजकल सभी सक्षम होते हैं कोई किसी के आगे खुद को कम दिखाना नहीं चाहता, जिसके चलते लोग यह भूल जाते हैं, कि बच्चों को आपका पैसा नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है आप दोनों के प्यार की जरूरत है। क्योंकि बच्चों की सही परवरिश माता या पिता दोनों में से किसी एक के अभाव में कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ वो अपने जीवन में एक बेहद कामयाब इंसान ज़रूर बन सकता है मगर उसके मन के अंदर उस कमी का काँटा हमेशा खटकता रहता है। फिर चाहे वह उस बात को ज़ाहिर करे या ना करे वो अलग बात है। कुछ दंपत्ति ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते लेकिन साथ गुजारे हुए कुछ अच्छे पलों की यादें तो होती है। मगर तब भी उन्हें उन यादों के साथ रहना मंजूर होता है बजाय खुद अपने जीवन में एक दूसरे के साथ चलते हुए। नयी यादें बनाने के, आखिर क्यूँ? निरंतर बढ़ते तलाक, टूटते परिवारों के बारे में हमे कुछ तो सोचना ही होगा।

आखिर स्त्री पुरुष की ऐसी क्या लाचारी है जो उन्हें तलाक तक ले आती है। कई तलाकों में माता–पिता भी प्रोत्साहन देते हैं। बड़े घर की लड़कियाँ विवाह पश्चात् नहीं घुल–मिल पाती और माता–पिता के घर लौट आती है और माँ बाप भी सहानुभूति दिखा कर रोक लेते हैं परंतु बाद में उन्हें यह बहुत भारी पड़ता है। तलाकशुदा औरत का अकेले रहना तो दूभर हो ही जाता है फिर यदि वह पुनर्विवाह कर भी ले तो यह धब्बा कभी नही मिटता साथ ही इसकी भी क्या गारंटी की वो दूसरी शादी में सुखी रह सकेंगी। इसीलिए समाज में परामर्श समिति की स्थापना की जानी चाहिये जो परिवार टूटने से बचाया जा सके। माता–पिता को चाहिए बचपन से ही बालिकाओं को सहनशीलता का पाठ पढाएँ, शिक्षित होकर नारी को अपने पर अभिमान नहीं होना चाहिए। घर में प्रवेश करते ही भूल जाना चाहिए कि वह नौकरी पेशा नहीं केवल एक गृहिणी है। अपने अहंकार को निकाल फेंकना चाहिए तथा पहले परिवार का सम्मान करना चाहिए।

विवाह–विच्छेद के बढ़ते निम्न कारण इस प्रकार हैंः–

1. एक दूसरे से सामंजस्य की कमी।
2. बढ़ती असहनशीलता।
3. पति–पत्नी के अहम का टकराव।
4. एक दूसरे को सुनने, समझने और सहने कि क्षमता खो देना।
5. स्त्री का झुकने को तैयार ना होना।
6. आधुनिक जीवन शैली।
7. पैसे कमाने की आधुनिक दौड़।
8. पति–पत्नी के विचारों का तालमेल ना हो पाना।
9. लड़की के माता–पिता की गलत शिक्षा और संस्कार।
10. एक दूसरे से ज्यादा अपेक्षा रखना।
11. समझौता ना करना।
12. पश्चिम सभ्यता का प्रभाव।
13. पति पत्नी में से किसी एक का थोड़ा ना झुकना।
14. लड़की के माता–पिता का लड़की के ससुराल में ज्यादा ताक–झाँक।
15. पढ़ी–लिखी लड़के–लडकियों का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि पति–पत्नी में से कोई भी थोड़ा समझौता कर ले तो शायद आज इतनी बड़ी संख्या में विवाह–विच्छेद के मामले सामने नहीं आएँगे। पति–पत्नी की समझदारी से विवाह की गाड़ी सही चलती है। अंततः बस यही कहना चाहूँगी की क्या आपको नहीं लगता कि पैसा कमाने और आत्मनिर्भर होने जैसी चीजों ने जहाँ एक ओर व्यक्ति का विकास किया है, वहीं दूसरी ओर फायदे से ज्यादा नुकसान भी किया है और कर भी रहा है जिसका परिणाम है यह ''विवाह–विच्छेद''।

संदर्भः

1. बर्ट. सीत्र दि यंग डेलिंक्वेंट
2. क्वैरेसियसः जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड दि स्कूल
3. हूटनः क्राइम ऐंड दि मैन
4. इस्लरः सर्चलाइट्स आन् डेलिक्वेंसी संकलन
5. हीली ऐंड ब्रानरः न्यू लाइट्स आन डेलिंक्वेंसी ऐंड इट्स ट्रीटमेंट
6. थ्रैशरः जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड क्राइम प्रिवेंशन लेख
7. आइकहार्नः दि वेवर्ड यूथ